



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232447
CG-DL-E-06012022-232447

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943

No. 47]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

का.आ. 48(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि असम राज्य में नार्थ - इस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी - नुमालीगढ़ - दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंड्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, असम राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : सोनीतपुर			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
थेलेमारा	नाहरबारी	खागरी जन गाँव	342	00	00	20
			349	00	07	47
			323	00	02	36
			347	00	08	43
			350	00	15	09
			369	00	03	12
			351	00	04	79
			370	00	16	26
			368	00	00	20
			372	00	00	24
			373	00	20	43
			380	00	00	64
			377	00	09	33
			375	00	11	20
			366	00	09	27
			365	00	03	95
			364	00	09	75
			363	00	07	33
			362	00	04	13
			361	00	02	11
			414	00	08	23
			415	00	08	21
			416	00	11	32
			420	00	05	17
			425	00	21	10
			424	00	05	38
			429	00	05	99
			457	00	00	68
			458	00	01	65
			456	00	15	28
			455	00	10	27
			454	00	09	79

230	00	02	35
478	00	13	84
502	00	33	40
503	00	14	97
504	00	09	89

[फा. सं. एल-14014/224/2021-जीपी-II (ई-41023)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2022

S.O. 48(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North - East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Assam.

SCHEDULE

District : Sonitpur				State: Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Thelemara	Naharbari	Khagari Jan Gaon	342	00	00	20
			349	00	07	47
			323	00	02	36
			347	00	08	43
			350	00	15	09
			369	00	03	12
			351	00	04	79
			370	00	16	26
			368	00	00	20
			372	00	00	24
			373	00	20	43
			380	00	00	64
			377	00	09	33
			375	00	11	20
			366	00	09	27
			365	00	03	95
			364	00	09	75
			363	00	07	33

362	00	04	13
361	00	02	11
414	00	08	23
415	00	08	21
416	00	11	32
420	00	05	17
425	00	21	10
424	00	05	38
429	00	05	99
457	00	00	68
458	00	01	65
456	00	15	28
455	00	10	27
454	00	09	79
230	00	02	35
478	00	13	84
502	00	33	40
503	00	14	97
504	00	09	89

[F. No. L-14014/224/2021-GP-II (E-41023)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.